

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्म/48/ए/2009/1008  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10/11/09

आयुक्त,  
आदिवासी विकास विभाग,  
सतपुड़ा भवन, भोपाल.

विषय:-आध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।

—0—


विषयांतर्गत लेख है कि मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त टीप में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	मा.मंत्री जी द्वारा प्राप्त नोटशीट/पत्र	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्रीमती जानकी देवी धुर्वे सहायक अध्यापक शा.पू.मा.वि. कुसहनिया जिला: सिंगरौली	जा.क्र. 6244 दि. 11.10.09	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत की गई संविलियन निकाय की अनापत्ति में वर्णित शाला आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित है।
2	कु. चीमा मुवैल अध्यापक शा.मा.वि. बावचा जिला सीहोर	जा.क्र. 2712 दि. 11.09.09	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत की गई संविलियन निकाय की अनापत्ति में वर्णित शाला आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित है।
3	श्रीमती जनिता बास्कले अध्यापक शाउमावि बरसलाय जिला खरगोन	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत की गई संविलियन निकाय की अनापत्ति में वर्णित शाला आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित है।
4	श्रीमती क्षमा शर्मा वरिष्ठ अध्यापक बी.टी.आई. (डाईट) जिला बड़वानी	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत की गई संविलियन निकाय की अनापत्ति में वर्णित शाला आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित है।

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित ज्ञाप दिनांक 08.11.05 की कड़िका-6 अनुसार उक्त प्रकरणों में आपके विभाग से कार्यवाही की जाना है। अतः आवेदकों से प्राप्त आवेदन एवं अन्य अभिलेख संलग्न कर मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार


आयुक्त द्वारा अनुमोदित

  
संयुक्त संचालक  
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृष्ठकन क्रमांक/शिक्षाकर्म/48/ए/2009/1559  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 10/11/14

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।

  
संयुक्त संचालक  
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्मी/48/ए/2009/ 1006  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10/11/09

कलेक्टर,  
जिला-उज्जैन, रायसेन, सिंगरौली एवं छतरपुर,  
मध्यप्रदेश.

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत संविलियन के संबंध में।

—0—


विषयातर्गत लेख है कि मान मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त नोटशीट/पत्र में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत जिलातर्गत संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	मान. मंत्री जी से प्राप्त नोटशीट/पत्र का क्र. एवं दिनांक	प्रकरण की रिथति
1	2	3	4
1	श्रीमती सरिता जीनवाल शिक्षाकर्मी वर्ग-3 शा.प्रा.शा. महिदपुर जिला उज्जैन	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।
2	श्रीमती राजेश साहू सहायक अध्यापक शा.मा.क.शा. वसई जिला भोपाल	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।
3	श्रीमती देवेन्द्र चौरसिया अध्यापक शा.मा.शा. धोधरा जिला छतरपुर	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।
4	श्रीमती नीतू सक्सेना अध्यापक शा.मा.वि. अरनिया कलां	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।
5	श्रीमती सारिका यादव सहायक अध्यापक शा.क.प्रा.वि. कुसमानिया जिला देवास	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।
6	श्रीमती प्रभा सिंह सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. हरफरी जिला सिंगरौली	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।

7	श्रीमती संध्या चौहान अध्यापक शा.मा.शा. मनियावदा जिला उज्जैन	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।
8	श्रीमती ज्योति अकादिया सहायक अध्यापक शा.प्र.वि. नावटिया जिला	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।
9	श्रीमती सुचित्रा भटनागर सहायक अध्यापक शा.मा.शा. खसरोद जिला रायसेन	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।
10	कु. अनामिका श्रीवास्तव सहायक अध्यापक शा.कमा.वि. तराना जिला उज्जैन	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।
11	सौ. स्नाती दण्डवते सहायक अध्यापक शा.क.मा.वि. नागदा जिला उज्जैन	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।

अतएव इस संबंध में आपके स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित आवेदिका को अवगत कराने का कष्ट करें।


संलग्न:-उपरोक्तानुसार  
आयुक्त द्वारा अनुमोदित

  
संयुक्त संचालक 10-11-09  
लोक शिक्षण, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 10/11/09

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्मी/48/ए/2009/1007  
प्रतिलिपि :-

- 1- निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 2- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
- 3- तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदिकों की ओर सूचनार्थ।

  
संयुक्त संचालक 10-11-09  
लोक शिक्षण, म.प्र.

**लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश**

क्रमांक/शिक्षाकर्मि/1000/ए/2009/  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10/11/09

कलेक्टर,  
जिला-भोपाल,  
मध्यप्रदेश.

**विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत संविलियन के संबंध में।**


—0—

विषयांतर्गत लेख है कि महिला, विकलांग एवं परस्पर आधार पर अध्यापक संवर्ग अंतर्गत जिलांतर्गत संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र	शिक्षा कर्मि का नाम वर्ग (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम	रिमार्क
	1	2	3	5
3	श्रीमती नाजमा इलियास अध्यापक शा.मा.शा छात्रनी पठार जिला भोपाल	जनपद पंचायत फंदर जिला भोपाल जा.क्र. 5040 दि. 17.07.09	नगर पालिक निगम भोपाल जिला भोपाल जा.क्र. 91 दि. 07.09.08 शा.हाईस्कूल पुतलीघर/बागमुपती	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।


अतएव इस संबंध में आपके स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित आवेदिका को अवगत कराने का कष्ट करें।

**संलग्न:-उपरोक्तानुसार  
आयुक्त द्वारा अनुमोदित**

  
 10-11-09  
 संयुक्त संचालक  
 लोक शिक्षण, म.प्र.  
 भोपाल, दिनांक

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्मि/1001/ए/2009/  
प्रतिलिपि :-

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 3- तालिका कॉलम क्रमांक एक में वर्णित संबंधित आवेदिका की ओर सूचनार्थ ।

  
 10-11-09  
 संयुक्त संचालक  
 लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्म/ए/48/2009/1004  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10/11/09

जिला शिक्षा अधिकारी,  
जिला -  
मध्यप्रदेश

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त नोटशीट/पत्र में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	मा.मंत्री जी द्वारा प्राप्त नोटशीट/पत्र	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्रीमती शिवालिनी सक्सेना शिक्षाकर्मि वर्ग-2 शा.क.उ.मा.वि. मंडीदीप जिला रायसेन	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, टोनो निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है। अतः संविलियन को अनुमति दिए जाने में कठिनाई है।
2	श्रीमती शीला सक्सेना सं.शा.शि. वर्ग-3 शा.प्रा.वि. कोयल जिला उज्जैन	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को संविलियन की पात्रता नहीं है।
3	श्रीमती माया सिंह परस्ते सं.शा.शि. वर्ग-3 शा.न.मा.शा. गौराखेरा जिला टीकमगढ़	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को संविलियन की पात्रता नहीं है।
4	श्रीमती आरती बैरागी सं.शा.शि. वर्ग-3 शा.प्रा.पाठ. मझौली जिला उमरिया	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को संविलियन की पात्रता नहीं है।
5	श्री एस.के. नंदा सं.शा.शि. वर्ग-2 शा.उ.मा.वि. साडरा जिला बालाघाट	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को संविलियन की पात्रता नहीं है।
6	श्री अर्जुन सिंह शिक्षाकर्मि वर्ग-2 शा.पू.मा.वि. कोतर जिला सतना	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
7	श्री रावेन्द्र प्रताप सिंह शिक्षाकर्मि वर्ग-3 शा.प्रा.पाठ. अजमाइन जिला सतना	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।


8	श्री कमलेश सिंह शिक्षाकर्मी वर्ग-3 शा.प्रा.पाठ. अजमाइन जिला सतना	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
9	श्री योगेन्द्र पताप सिंह शिक्षाकर्मी वर्ग-3 शिक्षा गारंटी पाठ. करतरा जिला सतना	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
10	श्रीमती अर्चना नागर सं.शा.शि. वर्ग-3 शा.प्रा.वि. सांकरिया महिदपुर जिला उज्जैन	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को संविलियन की पात्रता नहीं है।
11	श्रीमती सुनीता शर्मा स.शा.शि. वर्ग-3 शा.मा.शा. भोजपुरा जिला भोपाल	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को संविलियन की पात्रता नहीं है।
12	श्रीमती संध्या सरोठिया सं.शा.शि. वर्ग-2 शा.मा.शा. विलायत खुर्द जिला कटनी	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को संविलियन की पात्रता नहीं है।
13	श्री शिवेन्द्र सिंह सहायक अध्यापक शा.प्रा.पाठ. हिडवार जिला रीवा	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
14	श्रीमती सुरुधि श्रीवास्तव वरिष्ठ अध्यापक गृह विज्ञान शा.उमावि जिला दमोह	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	आवेदिका द्वारा नगर निगम भोपाल अंतर्गत शालाओं में संविलियन चाहा गया है किन्तु नगरीय क्षेत्र में गृह विज्ञान विषय का पद रिक्त न होने के कारण संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है।
15	श्री ललित कुमार विश्वकर्मा अध्यापक शा.उमावि खुजनेर जिला राजगढ़	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
16	श्री विभात कुमार सिंह अध्यापक शा.उमावि चरकी जिला सिंगरौली	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
17	श्री घनश्याम धुर्वे सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. बडार जिला मण्डला	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
18	श्री अरविंद कुमार चतुर्वेदी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. चमरपुरा डार जिला टीकमगढ़	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
19	श्रीमती जरीना बेगम सहायक अध्यापक शा.पू.मा.वि. परासी जिला उमरिया	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है। अतः संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है।

20	श्री मोहन सिंह इंदोरिया सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. टौरिया जिला शिवपुरी	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
21	श्री कुमार सिंह सिकरवार सहायक अध्यापक शा.हाई. चन्दपुरा जिला भिण्ड	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
22	श्रीमती रश्मि नागवंशी अध्यापक शा.पू.मा.वि. देवगांवा जिला सिंगरोली	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है। अतः संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है।
23	श्रीमती अनुभा जैन सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. वनगांव जिला दमोह	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है। अतः संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है।
24	श्रीमती सुभद्रा चौहान वरिष्ठ अध्यापक शा.उमावि कुआं जिला बड़दानी	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है। अतः संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है।
25	श्रीमती कृष्णा चौकसे सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. रेहटा जिला हरदा	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है। अतः संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है।
26	श्री श्यामा चरण खिरा अध्यापक शा.हाई. मडियादो जिला दमोह	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
27	श्रीमती सरोज शुक्ला अध्यापक शा.पू.मा.वि. महिमार जिला उमरिया	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है। अतः संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है।
28	श्री रमाकांत मिश्र सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. पडमनिया	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
29	श्री प्रेमनारायण मीणा सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. टौरिया जिला अशोकनगर	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
30	श्री सत्यप्रकाश खरे अध्यापक शा.हाईस्कूल कंजिया जिला सागर	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
31	श्री मोहन लाल पटले सहायक अध्यापक शा.प्रा.बा.शा. करसरा जिला सतना	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।

32	श्रीमती राधा भदौरिया - सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. कल्याणपुरा जिला भिण्ड	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है। अतः संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है।
33	श्रीमती ओमवती जखैन सहायक अध्यापक शामावि हासई जिला मुरैना	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है। अतः संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है।
34	श्री दुर्गेश कुमार भारती अध्यापक बिरजीपुरा जिला	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
35	श्री कुमर सिंह कुम्कार अध्यापक पोपल्यापाल जिला	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
36	श्रीमती भावना सिंह अध्यापक शा.मा.शा. उल्हावन जिला सोहोर	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है। अतः संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है।
37	श्री भगवान दास पटेल सहायक अध्यापक शा.न.प्रा.क.वि. कुडई जिला दमोह	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
38	श्रीमती अजीता बातव अध्यापक शा.व.मा.शा. मंगराराम जिला सीहोर	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	आवेदिका द्वारा नगर निगम भोपाल अंतर्गत शालाओं में संविलियन चाहा गया है किन्तु नगरीय क्षेत्र में विज्ञान विषय का पद रिक्त न होने के कारण संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है।
39	श्री शलभ श्रीवास्तव वरिष्ठ अध्यापक शा.उत्कृ.उमावि क्र. 1 जिला दतिया	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
40	श्री नारायण दास कोली अध्यापक शा.हाई. बापचालहरिया जिला गुना	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
41	श्री गणेश कुमार शाक्य अध्यापक शामावि गढला जिला श्योपुर	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
42	श्री श्यामसुन्दर सिकरवार सहायक अध्यापक शा.बा.उमावि विजयपुर जिला श्योपुर	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
43	श्री बृजेश कुमार मिश्रा सहायक अध्यापक शा.बा.प्रा.शा. हीरापुर	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।

44	श्री ओमप्रकाश पाण्डेय सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. बिजौरा जिला अनूपपुर	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
45	श्रीमती किश्वर अंजुम वरिष्ठ अध्यापक शा.उमावि उमरावगंज जिला रायसेन	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है। अतः संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है।
46	श्री दशरथ साहू अध्यापक शा. बेडार जिला सागर	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
47	श्री पंकज शर्मा सहायक अध्यापक शा.हाईस्कूल धतरावदा	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
48	श्रीमती मेघा नामदेव सं.शा.शि. वर्ग-3 शा.प्रा.वि. उमरी जिला राजगढ़	जा.क्र. 3017 दि. 06.10.09	भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को संविलियन की पात्रता नहीं है।
49	श्री अन्नूलाल महोबिया सहायक अध्यापक विकलांग शा.प्रा.शा. देवरीखुर्द जिला कटनी	जा.क्र. 2705 दि. 11.09.09	आवेदक द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति, विकलांग प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है। अतः संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है।
50	श्रीमती श्वेता चौंसिया अध्यापक शा.न.मा.शा. बिलखबरा जिला जबलपुर	जा.क्र. 2712 दि. 11.09.09	आवेदक द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति, विकलांग प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है। अतः संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है।


अतएव कृपया उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदकों को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।  
आयुक्त द्वारा अनुमोदित

  
संयुक्त संचालक 10.11.09  
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्मी/ए/48/2009/1005  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 10/11/09

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदिका की ओर सूचनार्थ।

  
संयुक्त संचालक 10.11.09  
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्मी/1000/ए/2009/  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10/11/09

कलेक्टर,  
जिला-भोपाल,  
मध्यप्रदेश.

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत संविलियन के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि महिला, विकलांग एवं परस्पर आधार पर अध्यापक संवर्ग अंतर्गत जिलांतर्गत संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र	शिक्षा कर्मी का नाम वर्ग (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम	रिमार्क
	1	2	3	5
3	शीमती नाजमा इलियास अध्यापक शा.मा.शा. छावनी. पठार जिला भोपाल	जनपद पंचायत फंदा जिला भोपाल जा.क्र. 5040 दि. 17.07.09	नगर पालिक निगम भोपाल जिला भोपाल जा.क्र. 91 दि. 07.09.08 शा.हाईस्कूल पुतलीघर/बागमुफ्ती	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पारिपत्र दि. 3.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।

अतएव इस संबंध में आपके स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित आवेदिका को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार  
आयुक्त द्वारा अनुमोदित

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्मी/1001/ए/2009/  
प्रतिलिपि :-

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 3- तालिका कॉलम क्रमांक एक में वर्णित संबंधित आवेदिका की ओर सूचनार्थ।

10/11/09  
संयुक्त संचालक  
लोक शिक्षण, म.प्र.  
भोपाल, दिनांक 10/11/09

10/11/09  
संयुक्त संचालक  
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./43/ए/2009/1002  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10/11/09

जिला शिक्षा अधिकारी,  
जिला- खरगोन, बालाघाट, नीमच, दतिया, गुना एवं बुरहानपुर,  
मध्यप्रदेश

विषय:-अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन के आवेदकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई उपरांत कमीपूर्ति के संबंध में।


—0—

अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन हेतु विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आवेदनों का मध्यप्रदेश शासन, सकूल शिक्षा विभाग के आदेश/ज्ञाप दिनांक 08.11.05, 21.12.05 एवं 26.04.08 के अंतर्गत परीक्षण उपरांत आपके जिले के निम्न तालिका में अंकित आवेदन के सामने कॉलम-5 में उल्लेखित आवश्यक अभिलेखों की कमियां पाई गई हैं। ऐसे आवेदकों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	शिक्षा कर्मों का नाम व (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम	रिमार्क
	1	2	3	5
1	श्री उदयसिंह भण्डारी अध्यापक शा.मा.वि. कोठडा जिला खरगोन	जनपद पंचायत सिरन्या जिला खरगोन जा.क्र. 2409 दि. 18.05.09	जनपद पंचायत निवाली जिला उडगानी जा.क्र. 856 दि. 13.05.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
2	श्री पराग मिश्रा वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) शा.उ.मा.वि. जराहमोहगांव जिला बालाघाट	जिला पंचायत बालाघाट जिला बालाघाट जा.क्र. 3001 दि. 07.05.09	जिला पंचायत सिंदवाडा जिला छिंदवाडा जा.क्र. 2810 दि. 15.06.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
3	श्रीमती रजनी शर्मा सहायक अध्यापक शा.मा.वि. कनावटी जिला नीमच	निरंक	निरंक	आवेदिका प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है।
4	श्री सुखचैन सिंह धुर्वे सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. धुबयाई जिला दतिया	जनपद पंचायत सेवडा जिला दतिया जा.क्र. निरंक दि. निरंक	जनपद पंचायत निवास जिला मण्डला जा.क्र. 318 दि. 17.07.08	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
5	श्री जयप्रकाश तिवारी अध्यापक शा.न.मा.वि. गाजीपुर जिला गुना	जनपद पंचायत गुना जिला गुना जा.क्र. 2268 दि. 08.07.08	जनपद पंचायत बरघाट जिला सिवनी जा.क्र. 2631 दि. 12.08.08	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।


6	श्रीमती प्रमिला संदीप संगरे सहायक अध्यापक शा.म.प्रा.क.शा. बहादुरपुर जिला बुरहानपुर	जनपद पंचायत बुरहानपुर जिला बुरहानपुर - जा.क्र. 70 दि. 15.01.09	नगर पालिक निगम खंडवा जिला खंडवा जा.क्र. 25 दि. 20.01.09 शा.ठक्कर बापा मा.वि.	आवेदिका द्वारा अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/सविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है।
---	--	--	---	--

अतः उक्त तालिका में आंकित आवेदकों के द्वारा तालिका के कॉलम-5 के अनुसार वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाते हैं तो (अमान्य) को छोड़कर उनके द्वारा चाहे गये अंतर्जिला सविलियन की अनुमति पर विचार किया जा सकेगा। तालिका में दर्शित जिन आवेदकों का संचालनालय द्वारा पूर्व में आदेश जारी हो चुका है उनके द्वारा कमीपूर्ति हेतु पुनः आवेदन/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाए।  
आयुक्त द्वारा अनुमोदित

  
कृते: संचालक  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 10/11/09

पृष्ठा क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./13/ए/2009/1003  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल।
2. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उक्त तालिका अनुसार आपके जिले से संबंधित आवेदकों को तालिका के कॉलम-5 की स्थिति से अवगत कराएं।
4. संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।
5. कम्प्यूटर समन्वयक स्थानीय की ओर आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

  
कृते: संचालक  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश